"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई, 2003—ज्येष्ठ 2, शक 1925

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, धमतरी, छ. ग.

प्र. क्र. 1ब/113/2002-03.—आवेदक विद्यासागर अग्रवाल पिता स्व. गणेशीलाल अग्रवाल निवासी औद्योगिक वार्ड धमतरी जिला धमतरी एवं अन्य आठ के द्वारा "विद्यासागर गोविन्दी देवी चेरिटेबल ट्रस्ट धमतरी" का म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-5-2003 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास का सम्पति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना से लोक न्यास और उसका गठन करती है.

अत: मैं जी. आर. राना अनुविभागीय अधिकारी धमतरी "विद्यासागर गोविन्दी देवी चेरिटेबल ट्रस्ट" धमतरी को लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 12-5-2003 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले हो और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण	:	"विद्यासागर गोविन्दी देवी चेरिटेबल ट्रस्ट" धमतरी के नाम पर पोस्ट आफिस धमतरी के खाता क्रमांक 64618 में एक करोड़ रुपये एवं बैंक आफ, बड़ोदा में खाता क्रमांक 100525 में तीन लाख इक्कीस हजार रुपये मात्र.
2.	ट्रस्ट का अचल सम्पत्ति	:	निरंक

जी. आर. राना,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ. ग.)

क्रमांक 366/क/वा./अ.वि.अ./पंजी./03.—चूंकि आवेदक श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल-अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ तुलसी मानस सेवा न्यास, रायपुर (छत्तीसगढ़) पता-छत्तीसगढ़ तुलसी मानस सेवा न्यास रायपुर के द्वारा म. प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के तहत छत्तीगसढ़ तुलसी मानस सेवा रायपुर के नाम से सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति का पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 3-5-2003 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	छत्तीसगढ़ तुलसी मानस सेवा न्यास रायपुर (छत्तीसगढ़)
कार्यालय	:	न्यास का प्रधान कार्यालय वर्तमान रायपुर (छत्तीसगढ़)
ट्रस्ट की चल संपत्ति	:	निरंक
ट्रस्ट की अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.